राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नंम्बर– 203/2019

1. मनीष कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द उम्र 24 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. पूनम पुत्री श्री कैलाश चन्द पत्नी निखिल उम्र 26 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
3. पूजा पुत्री श्री कैलाश चन्द पत्नी राकेश कुमार उम्र 30 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राज0
4. सुमन देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द उम्र 48 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. कैलाश चन्द्र पुत्र स्व. श्री गोकल चन्द्र उम्र 54 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. उप पंजियक कार्यालय, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, खाता विभाजन

एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक :–14–11–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण एवं तिवादी सं. 1 ग्राम बड़ाऊ के मूल निवासी है तथा वादी सं. 1 लगा. 3 के पिता तथा दिया सं. 4 के पति प्रतिवादी सं. 1 है। प्रतिवादी सं. 1 के दादा ख्यालीराम पुत्र न्नालाल थे उनकी मृत्यु के बाद गोकल चन्द पुत्र ख्यालीराम के नाम दर्ज हुई उसकी त्यु के बाद वारिशान इंतकाल में प्रतिवादी सं. 1 व अन्य के नाम दर्ज हुई। वाके ग्राम ड़ाऊ स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 2481/1830 रकबा 2.16 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम है उसके पूर्व स्व. गोकल चन्द की खातेदारी दर्ज कार्ड है जो कि उक्त वादवर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का 4/5 स्सा है शेष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का है। वादवर्णित कृषि भूमि को वादीगण युक्त रूप से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे । वादी सं. 1 लगा. 3 के दादा व वादी सं. 4 के ससुर तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. कल चन्द की वाद वर्णित भूमि की खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी करीब 50 वर्ष पूर्व स्व. कल चन्द के देहान्त के बाद मद वर्णित भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाई रेश तथा बहिने शकुंतला, नानीबाई एवं माता फूली देवी ... खातेदारी दर्ज रिकार्ड ई। वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. ... की माता फूली देवी ... बहन शकुन्तला एवं नीबाई ने दिनांक 15.07.2006 को खाता संख्या 194 के किता ... 3.34 है. मे अपना /5 हिस्सा एवं खाता संख्या 196 के किता ... में अपना 3/15 हिस्सा म्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में हकत्याग बिना किसी ... प्रतिफल के हकसमर्पण क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

दिया था। दिनांक 13.07.2006 को आपसी सहमति से प्रतिवादी सं. 1 के भाई स्व. नरेश के पुत्र विकास पुत्री रीटा, रजनी, मिनाक्षी माता सन्तोष देवी ने अपना 1/5 हिस्सा की भूमि 0.4320 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हक में करवा दिया जिसकी राशि वादिया सं. 4 ने अदा की थी। ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 2481/1830 रकबा 2.16 है. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हुई उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक है जिसमें वादीगण का 4/5 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा है। उक्त पैतृक भूमि को शामलाती रूप में काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 की गलत हरकतों एवं गलत संगत में होने से शराब पीकर घर में अशान्ति पैदा करता है तथा वादी सं. 1 की दादी की एफ.डी. की राशि भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने से वह शराब व अन्य हरकतों के लिए बैंक से उक्त राशि को निकाल कर बर्बाद करने पर वादी सं. 1 व वादी सं. 4 मना करते हैं तो उनके साथ आये दिन लड़ाई–झगड़ा कर मारपीट करता है। वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक भूमि होने से वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त रूप से हिस्सा है जो अपने हिस्से की घोषणा करवा कर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है क्योंकि वाद वर्णित भूमि हिन्दु अविभक्त परिवार की सम्पति है एवं प्रतिवादी सं. 1 जो कि परिवार का कर्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज है जिसके आधार पर वह उक्त पैतृक भूमि को बिक्री करने पर आमादा है। वाद वर्णित भूमि ग्राम बड़ाऊ स्थित खाता सं. 79 के खसरा नंबर 2481/1830 रकबा 2.16 है. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होने से वादीगण को विशेष सूत्रों से दिनांक 01.12.2019 को जानकारी हुई है कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त वाद वर्णित भूमि का विक्रय पत्र अन्य व्यक्ति के पक्ष में तस्दीक करवाने को आमादा है. जो कभी भी वाद वर्णित भूमि का विक्रय पत्र किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तस्दीक करवा देता है तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता है। वादीगण को वाद वर्णित भूमि पैतृक भूमि होने से अपने 4/5 हिस्से की बाबत घोषणात्मक एवं खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

क) प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि वह वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 2481/1830 रकबा 2.16 है. की पैतृक भूमि का बेचान नहीं करें।

ख) दावा के खण्ड नं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 4/5 हिस्से की घोषणा कर खाता अलहदा किया जावे।

ग) प्रतिवादी सं. 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि ग्राम बड़ाऊ स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2481/1830 रकबा 2.16 है. की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने को पेश करें तो उसे तस्दीक न करें न कोई दान, रहन या अन्य किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण तस्दीक न करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 79 ग्राम बड़ाऊ, जमाबन्दी संवत् 2029–32, संवत् 2033–36, फोटो प्रति हक समर्पण पत्र पेश किया तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र ... (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी ... पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 79 में कैलाशचन्द्र पुत्र गोकलचन्द हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण सं. 1 लगा. 3 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र/पुत्री तथा वादिया सं. 4 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित नहीं है, पैतृक भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 को उसके पिता गोकलचन्द की मृत्यु के पश्चात् विरासत में मिली है। अर्थात् हिन्दु अविभक्त परिवार की सम्पत्ति है, प्रतिवादी सं. 1 जीवित है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष घोषणात्मक, खाता विभाजन कानूनी रूप से दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 79 खसरा नंबर 2481/1830 एकबा 2.16 है. में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मनीष कुमार आदि

ब–ना–म

कैलाश चन्द्र आदि

ा बाबत **घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
दमा नम्बर :– **203/2019**
य दिनांक :– **14–11–2022**

वादीगण की ओर से **श्री विश्वनाथ अग्रवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से .... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **14–11–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम क तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 79 खसरा नंबर 2481/1830 रकबा 2.16 ं वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें तथा मौके व व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **14–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner